

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2024—भाद्र 8, शक 1946

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं कार्यालय, नगर परिषद, देवरी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश देवरी, दिनांक 13 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/ 758.- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद देवरी जिला रायसेन की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद देवरी जिला रायसेन

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

| क्र. | श्रेणी | पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा) | सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या) | योग | निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %) | दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग (7+ 8 + 9 + 10) | रिमांक |
|------|--------|-----------------------------------|--|-----|---|--|------------------------------|--|---|---------------------|--------|
| | | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%) | बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) | लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%) | ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | सफाई संरक्षक (नियमित) | 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 2 | चतुर्थ | सफाई संरक्षक (संविदा) | 24 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| योग | | | 36 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |

जगदीश शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, छापीहेडा, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

छापीहेडा, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/1240.-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद छापीहेडा जिला राजगढ़ की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद छापीहेडा जिला राजगढ़

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

| क्र. | श्रेणी | पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा) | सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या) | योग | निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %) | दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग (7+ 9 + 10) | रिमार्क |
|------|--------|------------------------------------|--|-----|---|--|-------------------------------|---|---|-----------------|---------|
| | | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1. 5%) | बहरे और कम सुनने वाले (1. 5%) | लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्राफी (1.5%) | ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | सफाई संरक्षक (नियमित) | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | चतुर्थ | सफाई संरक्षक (संविदा) | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| योग | | | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |

हरीओम शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगर परिषद, खुजनेर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

खुजनेर, दिनांक 24 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/912.-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर परिषद खुजनेर जिला राजगढ़ की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्द्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर परिषद खुजनेर जिला राजगढ़

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

| क्र. | श्रेणी | पद/ संवर्ग का नाम (नियमित/ संविदा) | सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या) | योग | निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %) | दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग (7+ 8 + 9 + 10) | रिमार्क |
|------|--------|------------------------------------|--|-----|---|--|-------------------------------|---|---|---------------------|---------|
| | | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1. 5%) | बहरे और कम सुनने वाले (1. 5%) | लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%) | ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | सफाई संरक्षक (नियमित) | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | चतुर्थ | सफाई संरक्षक (संविदा) | 15 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| योग | | | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |

उमेश शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

कार्यालय, नगरपालिका परिषद, राजगढ़, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 29 अगस्त 2024

क्रमांक/स्था./2024/2094.- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 101 के प्रावधानों के अनुक्रम में निर्मित मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका परिषद राजगढ़ जिला राजगढ़ की स्थापना में अनुसूची 02 में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए एतद्वारा पदों को चिन्हांकित किया जाकर आरक्षित किया जाता है :-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद राजगढ़ जिला राजगढ़

अनुसूची - दो

दिव्यांगजन के लिए पदों का चिन्हांकन

| क्र. | श्रेणी | पद/संवर्ग का नाम (नियमित / संविदा) | सीधी भर्ती के दिये स्वीकृत पद (संख्या) | योग | निशक्त जनों के लिए 6 प्रतिशत के अनुसार चिन्हांकित किये जाने हेतु पदों की संख्या (6 %) | दिव्यांगता अनुसार चिन्हांकित किये गये पद/संवर्ग एवं संख्या | | | | योग (7+ 8+ 9+ 10) | रिमार्क |
|------|--------|------------------------------------|--|-----|---|--|------------------------------|---|--|-------------------|---------|
| | | | | | | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि बाधित (1.5%) | बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) | लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (1.5%) | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | चतुर्थ | सफाई संरक्षक (नियमित) | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | | सफाई संरक्षक (संविदा) | 39 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
| योग | | | 59 | 59 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |

रवि गुप्ता, मुख्य नगरपालिका अधिकारी.